नम्बर व तारीख अह
जो इस हुक्म की त
में जारी हुए

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार असीजा आर.ए.एस.

अपील सं. 30/2018

अनवानः—

साहबराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट सा. रोड़ावाली तह0 हनुमानगढ।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।
2 शांतिदेवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट सा. रोड़ांवाली तह0 हनुमानगढ।
3 बलवंतसिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट सा. रोड़ांवाली तह0 हनुमानगढ।
4 कमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट सा. रोड़ांवाली तह0 हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 131 दिनांक 02.06.2005 ।

उपस्थितः— 1 श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।
3 श्री प्रदीप मोहन भाटी अभिभाषक रेस्पो0 3 व 4

—:निर्णयः—

दिनांकः — 27

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 ता 4 के पूर्वज रामप्रताप ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक प्रा0पत्र रामप्रताप बनाम भागीरथ आदि प्रकरण सं0 02/04 अर्न्तगत नियम 8(2)जनरल कालोनी कण्डीशन 1955 के तहत अपनी कृषि भूमि चक 5 केकेडब्ल्यु 117/209 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण भागीरथ बगैरा के विरूद्ध प्रा0पत्र प्रस्तुत कर चक 5 केकेडब्ल्यु के प0नं0 118/209 कि0नं0 1 में रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा जिसे न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ ने निर्णय दिनांक 04.05.2005 को स्वीकृत किया गया। इस निर्णय की पालना में नामान्तरण सं0 131 दिनांक 02.6.2005 को स्वीकृत कर प0नं0 118/209 कि0नं0 1/1 में 0.013 है0 रास्ता का अंकन कर दिया व मौका पर रास्ता चालू करवा दिया जो लगातार चलता आ रहा है। जिसमें अप्रार्थीगण समय समय पर बाधा उत्पन्न करते आ रहे हैं। अपीलांट व रेंस्पो0 2 ता 4 के पिता के देहांत के बाद रास्ता बन्द करना खोलना चलता रहा । पिछले कुछ महीनों में विवाद शुरू हुआ व रास्ता बन्द कर दिया तब अपीलांट ने तहसीलदार को रास्ता खुलवाने का प्रा0पत्र दिया , तहसीलदार हनुमानगढ मौका पर रास्ता खुलवाने गये तब अप्रार्थीगण ने नामान्तरण व जमाबंदी दिखाई और कहा कि हमने अंकन पलट दियाहै रास्ता 1/2 में दर्ज कर दिया गया है। जो जमाबंदी में दर्ज है। अपीलांट ने नामान्तरण की पड़त

अपराधिक रूप से विधि विरूद्ध तरीके के किया गया है। जिसे अपीलांट दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

वर्तमान नामान्तरण सं0 131 मा0 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमागनढ द्वारा पारित निर्णय 04.5.2005 की मंशा के विपरीत दर्ज किया गया है। निर्णय में अपीलांट व रेस्पो0 2 ता 4 के पिता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया है परन्तु वर्तमान में नामान्तरण की स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड के अंकन से प्रार्थी रामप्रताप की खातेदारी में आने जाने हेतु स्वीकृत रास्ता का अंकन ही नहीं हुआ है। जिसे दुरूस्त करवाकर मा. न्यायालय के आदेश में पालना करवाने का अधिकारी है। रेस्पो0 2 ता 4 के हित अपीलांट के हित एक समान हैं। यदि रेस्पो0 चाहे तो अपीलांट बन सकते हैं। देरी से अपील प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है।

अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल 131 में संशोधन कर प0नं0 118/209 कि0नं0 1/2 में 0.018 है0 रास्ता के स्थान पर 118/209 कि0कनं0 1/1 में0.013 है0 रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 की तलबी की गयी। रेस्पो0 3 व 4 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये। रेस्पो0 2 के फौत होने बाबत प्रा0पत्र मय मृत्यु प्रमाण व वारिसनामा प्रस्तुत किया गया। वारिसनामा के अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 2 ता 4 स्व0 रामप्रताप के वारिस हैं। अपीलाधीन इन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय से तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.5.2005 के अनुसार अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ है व इस इन्तकाल में कांट छांट की गयी है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 4 ने अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलांट व रेस्पो. 2 ता 4 के हित समान है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन इन्तकाल विधिवत दर्ज किया गया है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ में दायर प्रकरण सं0 02/04 अनवानी रामप्रताप बनाम भागीरथ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.5.2005 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से पाया जाता है कि पक्षकारों की सहमति व सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 5 के.के.डब्ल्यु. के प0नं0 118/208 कि.नं. 1 में सादुशहर हनुमानगढ सड़क से कि.नं. 1 के उत्तर दिशा में 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम(स्वीकृत) किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ को उक्त अनुसार रिकार्ड में अमलदरामद व रास्ता खुलवाने हेतु लिखा जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश की पालना में अपीलाधीन इन्तकाल सं0 131 दिनाक 02.6.2005 दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल इन्तकाल सं0 131 के अवलोकन से पाया जाता है कि इन्तकाल के कालम सं0 14 में अंकित किया हुआ है कि हुक्मन प्र0सं0 2/04 रामप्रताप बनाम भागीरथ श्रीमान् एसडीओ सा0 हनुमानगढ के आदेश कमांक राजस्व/05/268 दिनांक 9.5.05 तहसील हनुमानगढ के आदेश कमांक भूअ0/05/1672 दिनांक 16.5.05 का अंकन है। कालम सं0 16 में अंकित किया है कि महोदय निवेदन है कि मुताबिक आदेश प0नं0 118/209 कि0नं0 1/1 में 0.013 रास्ता का नामान्तरण दर्ज कर वास्ते स्वीकृति हेतु पेश है का अंकन है। कालम सं0 10 में खसरा नं0 118/209 कि0नं0 1/2 व कालम सं. 11 में .018 रास्ता का अंकन है। इस इन्तकाल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कालम सं0 10 व 11 में ओवरराईटिंग की

दर्ज किया गया है। इस इन्तकाल के साथ उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के पत्रांक 268 दिनांक 09.5.05 की प्रति भी सलंग्न है जिसके अनुसार निर्णय का सूक्षम विवरण देकर पत्र तहसीलदार हनुमानगढ को प्रेषित किया गया है। जिसका विवरण कालम सं0 14 में दिया गया है। अपीलाधीन इन्तकाल के कालम सं0 14 व 16 में भिन्नता पायी जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलाधीन इन्तकाल न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.5.05 व पत्रांक 268 दिनांक 09.5.05 के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल सं0 131 स्वीकृति दिनांक 02.6.05 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04.5.05 व पत्रांक 268 दिनांक 09.5.05 के अनुसार विधि अनुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल इन्तकाल निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.4.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.4.19

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official